

मजदूर मोर्चा

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

पाक्षिक

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

वर्ष 27

अंक 6

फरीदाबाद, शनिवार, 1-15 फरवरी 2014

फोन : - 9999595632

₹ 2

आप के नये मुसाफिर का इतिहास है शातिर
चिकित्सा सामग्री भंडार में बड़ा घोटाला

3

सशक्त राज्य में अशक्त स्त्री
'युवराज' राहुल बने 'एंग्री यग मैन'

4

दंगों में जलता रहा मुज्जफरनगर, दोषी कौन?
सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस छोड़ने के लिए कैसे मजबूर हुए

6

हुड्डा को लगा करंट तो बिजली हुई सस्ती
चिकित्सा मुनाफाखोरी में 'पार्क' भी उतरा

8

'आप' से बाहर दिल्ली पुलिस आपे से बाहर केजरीवाल

दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचारी होना जगजाहिर है। केजरीवाल उसे भ्रष्ट बताकर कुछ नया नहीं कह रहे। पर यदि पुलिस को ईमानदार बनाना है तो उसे लोकतान्त्रिक बनाना होगा। इस बात पर सभी खामोश हैं।

दिल्ली मजदूर मोर्चा ब्यूरो

पुलिस और भ्रष्टाचार का चोली-दामन का साथ न इस देश की जनता से छिपा है और न ही राजनीतिक आकाओं से। आकाओं को तो खैर ऐसी ही पुलिस चाहिये थी। पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार को उजागर करने के क्रम में 25 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड पर उदाहरणों एवं आंकड़ों द्वारा उसकी तमाम भ्रष्टाचारी करतूतों का खुलासा किया तो जनता का मुखर अनुमोदन उनके साथ दिखाई पड़ा।

दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के नमूने



राह चलते देखे जा सकते हैं। दुकानदारों से हफ्ता वसूली, वाहन-चालकों से 'एन्टी' /ट्रैफिक चैकिंग के नाम पर वसूली, अनियमित निर्माणों से उगाही, जैसे दृश्य आम हैं। यहां तक कि अपने मकान में यदि कोई छूट-मुट परिवर्तन भी करें तो पुलिस वाला सिर पर सवार मिलेगा।

थाने/चौकियों में मुकदमे दर्ज करने, शिकायतें निपटाने, कार्यवाही करने-न करने, यानी दिल्ली में हर काम पैसे के दम पर ही चलता है। यदि आप किसी लाइसेंस के लिये पुलिस तसदीक की रिपोर्ट चाहते हैं तो बंधे हुए पैसों की रेट लिस्ट बता दी जाती है। मसलन, हथियार के लाइसेंस की सिफारिश एस एच ओ के दफ्तर से 25000 में निकलती है। इसके बाद ए सी पी, डी सी पी के दफ्तरों के

अपने-अपने रेट हैं। थाने में दस्तावेज तैयार करने के नाम पर सम्बन्धित सिपाही-हवलदार का खर्चा 5000 अलग से। अन्त में अंतिम लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी अपना 'मेहनताना' वसूलेंगी।

दिल्ली में तमाम लाइसेंसिंग दफ्तरों के बाहर बैठे बिचौलिये भ्रष्टाचार की प्रणाली के जीते-जागते नमूने हैं। बजाय अन्दर दफ्तर की भ्रष्ट प्रणाली से मत्था मारने और महीनों इन्तजार करने के लोगों को 'फ्रीस' देकर इन बिचौलियों के माध्यम से तुरन्त काम कराने की सुविधा रहती है। विडम्बना यह है कि जब केजरीवाल भ्रष्टाचारियों पर बरसते हैं तो भी इन दफ्तरों की भ्रष्ट प्रणालियां उनके निशाने में नहीं आ पाई हैं।

शेष पेज 2 पर

दिल्ली पुलिस का बंदा केवल मुनाफे का धंधा

यूं तो हर सरकारी महकमे वालों की काली कमाई जनता की आंख के सामने ही तरह तरह के धंधों में लगती देखी जा सकती है। दिल्ली पुलिस इस लिहाज से अगर इक्कीस नहीं तो किसी से उन्नीस भी नहीं ठहरेगी। जितना बड़ा रैंक उसी अनुपात में इनकी नामी-बेनामी सम्पत्तियां मिलेंगी। रोजमर्रा की एय्याशियां, फ्रिजूलखर्चियां, पंचतारा देशी-विदेशी छुट्टियां इत्यादि-इत्यादि तो उनकी जीवनशैली का हिस्सा हैं ही।

फार्महाउसों, फ्लैटों, जमीनों, रेस्तराओं, टैक्सी ऐजेंसियों, शेयर बाजारों, सूदखोरी, जैसी गतिविधियों में दिल्ली पुलिस के कितने ही अधिकारियों को खुलेआम संचालन में लिप्त देखा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में दिल्ली पुलिस की पी सी आर गाड़ियां पंचतारा होटलों से भोजन लाती हर शाम देखी जा सकती हैं। अपने-अपने इलाकों के होटलों/ शराबखानों की मुफ्त सेवा ये छोड़ नहीं सकते। कहते हैं कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। पर पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर ब्रजेश गुप्ता ने अपने से कई वर्ष सीनियर आई पी एस अधिकारी एस आई एस अहमद से भी वसूली करने में कोई शर्म महसूस नहीं की। अहमद, दिल्ली हवाई अड्डे का काम सम्भालने वाली कम्पनी, डायल, के मुख्य कार्यकारी थे। उनसे गुप्ता ने हवाई अड्डे पर दिल्ली पुलिस की ओर से 'सुविधा' देने के नाम पर 50 लाख की एकमुश्त मांग रख दी। अहमद सकते में आ गये। जैसे-तैसे टाल मटोल करके उन्होंने गुप्ता का कार्यकाल टपाया।

लोकपाल नहीं, कार्य पाल चाहिये, केजरीवाल जी !

भ्रष्टाचार मिटाने के मुद्दे पर दिल्ली में सरकार बनाने वाली 'आप पार्टी' ने फिलहाल दिल्ली वासियों के लिये एक हेल्पलाइन खोल रखी है। यह लाइन पता नहीं कैसी चल रही है पर भ्रष्टाचार बदस्तूर चल रहा है। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फरवरी के महीने में दिल्ली के लिये जन-लोकपाल (लोकायुक्त) लाने का वादा किया है।

यदि अन्य राज्यों में लगे लोकायुक्तों की कारगुजारियों का लेखा-जोखा लें तो पता चलता है कि वहां सरकारी व सार्वजनिक भ्रष्टाचार भी साथ ही साथ पनप रहा है। कहा जा सकता है कि उन सरकारों की अपनी प्रवृत्ति भ्रष्टाचारी होने के कारण वहां के लोकपाल प्रभावी नहीं हो सके। और क्योंकि मौजूदा दिल्ली सरकार का फोकस भ्रष्टाचार मिटाने पर है, उनका लोकायुक्त निश्चय ही इस दिशा में कारगर होगा।

याद रखने की बात है कि लोकायुक्त न जादू की छड़ी है और न ही अलादीन का जादुई चिराग कि उसके लगते ही तमाम भ्रष्टाचारी ईमानदार हो जायेंगे और बेईमानी छूमतर हो जायेगी। डर है कहीं इस खुश-फहमी में 'आप' का लोकायुक्त भी फाइलों व रपटों में उलझी एक और सरकारी मशीन ही न बन कर रह जाय। दरअसल दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग को मजबूत कर इसे भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते की बजाय भ्रष्टाचारनाशक रोडरोलर के रूप में बदला जा सकता है। यह पूर्णतया दिल्ली सरकार की पहल का मामला है। सरकार चाहे तो सैंकड़ों की संख्या में युवा अनुसंधानकर्ता (तफ्तीशी) विजिलेंस विभाग में भर्ती कर सकती है। इन्हें कुछ महीनों का गहन प्रशिक्षण देकर भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ने में लगाया जा सकता है। इनके अधिकारक्षेत्र में दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि राज्य व केन्द्र सरकार के तमाम अधिकारी/कर्मचारी आयेंगे जो दिल्ली में कार्यरत हैं। यही नहीं कार्यपालिका एवं विधायिका के अलावा न्यायपालिका का भ्रष्टाचार भी विजिलेंस विभाग द्वारा ही देखा जायेगा।

अपने विजिलेंस विभाग के लिये अधिकारियों की मांग लेकर अभी दिल्ली सरकार को केन्द्रीय गृह मन्त्रालय/दिल्ली पुलिस के पास जाना पड़ता है। वहां से आनेवाले प्रायः स्वयं भ्रष्ट होते हैं। साथ ही उनकी दिलचस्पी अपने सहयोगियों के विरुद्ध कार्यवाही में कम और उनकी मदद में ज्यादा होती है। इस समस्या का हल दिल्ली सरकार अपना विजिलेंस बोर्ड बनाकर कर सकती है। इस बोर्ड में वह अपनी तबियत के ईमानदार व कार्यकुशल व्यक्तियों को लगाकर वांछित परिणामों को सुनिश्चित कर सकती है। बोर्ड की शक्तियों को परिभाषित करना राज्य सरकार के अपने हाथ में है। उनके जिम्मे विजिलेंस विभाग की निगरानी व मार्गदर्शन की जवाबदेही डाली जा सकती है। इसके लिये न विधानसभा की मुहर चाहिये और न केंद्र सरकार की स्वीकृति।

अगर भ्रष्टाचार मिटाना है केजरीवाल जी तो कार्यपालकों का रोडरोलर चलाना ही पड़ेगा। जितना जल्दी चलाना शुरू कर सकें उतनी 'आप' की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

खबर दार

लोकतंत्र का शासन

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

31 जीब बात है कि गणतंत्र दिवस से पूर्व रायसीना हिल पर दो दिन धरना देनेवाली केजरीवाल सरकार पर अराजकता फैलाने और शासन की जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लग रहा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री चिदंबरम ने दावोस से कहा कि शासन चलाने में अयोग्यता छिपाने के लिए यह धरना किया गया। जबकि इसके उलट दिल्ली की आप सरकार राज्य के शासन में अपनी भागीदारी बढ़वाने का एजेंडा लेकर सड़क पर उतरी थी। उसकी तुरंत मांग दिल्ली पुलिस को, जो केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, अपने प्रति जवाबदेह बनाने की थी। यह मांग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के व्यापक प्रश्न से जुड़ी है।

जो बात केजरीवाल सरकार धरने के माध्यम से कह रही है वह वर्षों से उनकी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा फाइलों में प्रस्तावित की जाती रही है। 'धरना-प्रदर्शन' आम



आदमी पार्टी का डी एन ए है और अब सरकार बना लेने से वह रातों-रात बदल जाय, जरूरी नहीं। यह स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे 'भ्रष्टाचार' कांग्रेस का डी एन ए बन गया है और 'साम्प्रदायिकता' भाजपा का; ये भी रातों-रात नहीं बदले जा सकते। बावजूद कांग्रेस द्वारा संसद में भ्रष्टाचार विरोधी बिलों का अम्बार लगाने के और बावजूद नरेंद्र मोदी के गुजरात संहार पर

'हमसे गलतियां हुईं' कहने के।

क्या चाह कर भी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी 'गुंडागर्दी' और मायावती की बहुजन समाज पार्टी 'दलित अस्मिता' के घेरे से बाहर आ सकती हैं? क्या शरद पवार 'कुलक हित', शिव सेना 'मराठी मानुस', जयललिता 'तमिल ईलम', चंद्रबाबू नायडू और नवीन पटनायक क्रमशः 'आन्ध्र-गौरव' और 'उत्कल गौरव', ममता बनर्जी 'कम्युनिस्ट विरोध', कम्युनिस्ट पार्टियां 'स्टालिन भक्ति' या फिर अकाली दल 'कांग्रेस विरोध' से ऊपर उठ सकते हैं?

धरने पर बैठे आप सरकार की मांगों पर विरोध की गुंजाईश नहीं है, इसलिए उनकी मांग के तरीके को मुद्दा बनाया गया। क्या धारा 144 के बावजूद धरना इतना बड़ा अपराध है? महज इसलिए कि उसमें सरकार के मंत्री शामिल हैं। धरने का ऐलान कई दिन पहले हुआ और शान्ति भंग के डर से धारा 144 बाद में लगी। धरने पर 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रही।

शेष पेज 2 पर